

Proposal No 26962/2017


भाग-iv

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणयों की सुरस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

Sanjay Mishra  
2/2/18



Pankaj Misra  
Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act, 1980  
U.P. Lucknow

2/2/18

दिनांक-

नाम-

स्थान-

सरकारी मोहर